इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 733

29 नवम्बर, 2012 को उत्तर के लिए

लौह अयस्क की बिक्री में अनियमितताएं

733. श्रीमती कुसुम राय:
श्री अरविन्द कुमार सिंह:
श्री प्रभात झा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) द्वारा लौह अयस्क की बिक्री के संबंध में अनियमितताओं, जिसकी हाल ही में सूचना मिली है, के परिणामस्वरूप कम से कम 2000 करोड़ रूपए की सार्वजनिक धनराशि की हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किया है और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) और (ख): एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा लौह अयस्क का मूल्य निर्धारण की पद्धतियों के संबंध में इसके निष्पादन लेखा-परीक्षा की कार्रवाई के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने प्रारूप टिप्पणियां तैयार कर ली हैं। इन टिप्पणियों के लिए आवश्यक स्पष्टीकरण सीएजी द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सीएजी से आगे कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) से (ड.): प्रश्न नहीं उठता।

****